बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

परिपत्र

परिपत्र सं. : पीएफआरडीए/2025/10/एसयूपी-सीजी एसजी/03 16 सितम्बर, 2025

प्रति,

एनपीएस एवं यूपीएस के सभी हितधारकों को

विषय: 30.09.2025 तक नोडल कार्यालयों को यूपीएस अनुरोधों का भौतिक प्रस्तुतीकरण – के संबंध में।

केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं. F. No. FX-1/3/2024-PR दिनांक 24.01.2025 के माध्यम से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) अधिसूचित की गई है। साथ ही, पीएफआरडीए (एनपीएस के अंतर्गत यूनिफाइड पेंशन स्कीम का परिचालन) विनियम, 2025 भी 19.03.2025 को अधिसूचित किए गए हैं। इसके अलावा, केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का कार्यान्वयन) नियम, 2025 को डीओपीपीडब्ल्यू द्वारा 02.09.2025 को अधिसूचित किया गया है।

2. चूँकि यूपीएस विकल्प चुनने की अंतिम तिथि, अर्थात **30 सितंबर, 2025**, निकट आ रही है, अतः सभी अभिदाताओं के ध्यान में लाया जाता है कि यदि ऑनलाइन प्रणाली की अनुपलब्धता या सीआरए प्रणाली में किसी तकनीकी गड़बड़ी सहित किसी भी कारण से अभिदाता 30 सितंबर 2025 तक सीआरए प्रणाली के माध्यम से यूपीएस अनुरोध ऑनलाइन प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं, तो अभिदाता नोडल कार्यालय द्वारा आगे की प्रक्रिया के लिए नियत तिथि तक या उससे पहले विधिवत भरा हुआ भौतिक फॉर्म संबंधित नोडल कार्यालय में जमा कर सकते हैं। यूपीएस के भौतिक फॉर्म https://www.npscra.nsdl.co.in/ups.php पर उपलब्ध हैं।

3. यह परिपत्र पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जा रहा है तथा तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(विकास कुमार सिंह)
मुख्य महाप्रबंधक